<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एम०पी०/एम०एल०ए०), न्यायालय संख्या-5, वाराणसी</u>।

पीठासीन अधिकारीः- यजुवेन्द्र विक्रम सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

दाण्डिक निगरानी संख्या-486 सन् 2025

CNR NO. **UPVR010058982025**

हरिशंकर पाण्डेय एडवोकेट उम्र 61 वर्ष पुत्र स्व० रामराज पाण्डेय निवासी ग्राम एवं पोस्ट रामेश्वर जिला वाराणसी हालपता- श्री चैम्बर दीवानी कचहरी परिवार न्यायालय के सामने वाराणसी।

.......निगरानीकर्ता।

बनाम

1. राज्य उ०प्र० बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) वाराणसी।
2. श्री राहुल गाँधी सांसद लोकसभा/नेता प्रतिपक्ष बजरिये लोक सभा अध्यक्ष महोदय सचिवालय संसद भवन नई दिल्ली-110001
3. अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी बजरिये श्री अजय राय प्रान्तीय अध्यक्ष निवास पिशाच मोचन गली हथुआ मार्केट के बगल में, महामण्लेश्वर नगर चेतगंज वाराणसी-221001

.......विपक्षीगण

<u>:: निर्णय ::</u>

1- निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपराधिक निगरानी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 4/(एम०पी०/एम०एल०ए०), वाराणसी द्वारा परिवाद संख्या 28227/2025 हरिशंकर पाण्डेय बनाम राहुल गाँधी व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत परिवाद को पोषणीय न पाते हुए ग्राहयता के स्तर पर ही निरस्त कर दिया है।

2- निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी में संक्षेप में आधार यह लिया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा बिना विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किये प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया गया है। विद्वान अवर न्यायालय ने अपने विधिक विवेक का प्रयोग नही किया है अपितु शीघ्रता पूर्वक केवल धारा 208 एवं 217 BNSS के प्राविधानो को दिखा कर बिना सुनवाई का उचित अवसर परिवादी को प्रदान करते हुए, जल्दीबाजी में परिवाद के पोषणीयता तकनीकी के बिन्दु पर खारिज कर दिया है जबकि इस पर धारा 208 BNSS का प्राविधान लागू नही होता है, क्योकि श्री राहुल गांधी ने जो बयान विदेश मे दिया है उसके पूर्व और बाद मे वही बयान भारत मे भी सार्वजनिक मंचो से दिया है। जो कि विधि के दृष्टि में उचित नही है। अवर न्यायालय एम०पी०/एम०एल०ए० परिवादी को धारा 217 BNSS में पूर्व परमिशन की आज्ञापक आवश्यकता की पूर्ति हेतु परिवादी को कुछ समय दे कर न्यायिक मिशाल कायम कर सकते थे क्योकि राहुल गाँधी जन प्रतिनिधि है, राज कर्मचारी नही है। इसलिए उन पर मुकदमा धारा 217 BNSS की परिधि मे नही आता है। श्री राहुल गाँधी सासंद और लोकसभा नेताप्रतिपक्ष के द्वारा ब्राउन यूनिवर्सिटी न्यूयार्क अमेरिका के अन्तराष्ट्रीय मंच से तथा भारत में भी सार्वजनिक सभा में कई बार भारत की जनता के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विरूद्ध आमर्यादित टिप्पणियों एवं बयान दिया है जिसका सम्पूर्ण भारत वर्ष के सनातन धार्मिक जनो के आस्था एवं विश्वास पर

Digitally signed by YAJUVENDRA VIKRAM SINGH
Date: 2026.06.10 12:00:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कुठाराघात करते हुए अक्षम्य अपराध कारित किया है। धारा 217 BNSS प्राविधानो का पालन करते हुए परिवादी/रिविजनकर्ता ने सक्षम प्राधिकारीगण माननीय केबिनेट सचिव भारत सरकार, गृह सचिव भारत सरकार, मुख्य सचिव उ०प्र० सरकार तथा जिलाधिकारी वाराणसी के समक्ष पूर्व परिमिशन हेतु प्रार्थना पत्र पंजिकृत डाक से प्रेषित किया है, जिसका डाक रसीदें एवं पावतियाँ सलंग्न है। किन्तु ऐसी परिमिशन की आवश्यकता जनप्रतिनिधि के मामले मे मेनडेटरी नही है। यह रिविजन पूर्ण स्वस्थ मनमस्तिष्क से बिना किसी दुराग्रह अथवा पूर्वाग्रह अथवा किसी व्यक्ति की छवि को धुमिल करने या लालछन लगाने अथवा किसी प्रकार की सस्ती लोक प्रियता को प्राप्त करने के उद्देश्य से कदापि दाखिल नही किया जा रहा है यह सिर्फ भगवान श्री राम के प्रति अमर्यादित भाषण हेट स्पिचिंग के अपराध से पिड़ित होने वाले सनातन धर्मी नागरिको को न्याय दिलवाने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है।अतः निगरानी स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश दिनांक 27.05.2025 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

3- मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया गया कि ""परिवादी सनातन हिन्दू धर्म को मानने वाला धार्मिक प्रवृत का भारतीय नागरिक एवं अधिवक्ता है। परिवादी के इष्ट देव भगवान श्री राम एंव माता सीता तथा लक्ष्मण, भरत, शत्रुध्न सहित श्री हनुमान जी है। इन श्री राम दरबार की नित्य पूजन अर्चन परिवादी एवं उसके परिवार जनो के द्वारा अपने पूर्वजो के जमाने से ही जब से होश सम्भाला है, करता चला आ रहा है। विपक्षी श्री राहुल गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मे राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के सदस्य होने के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष भी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के रायबरेली संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद (लोकसभा) है और संसद में लोकसभा में नेता विपक्ष के दायित्व से भी युक्त है। कांग्रेस पार्टी जिसमें नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी सांसद है, के प्रान्तीय संगठन में श्री अजय राय प्रान्तीय अध्यक्ष के पद पर विद्यमान है। श्री राहुल गांधी के द्वारा अपने अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयार्क के ब्राउन यूनिवर्सिटी में कहा कि "यहाँ तक कि हमारे काल्पनिक पात्र भी ऐसे ही गढे गए है। भगवान राम में सशीतला व दयालुता जैसे गुण है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्व में भी भगवान श्री राम को काल्पनिक पात्र बनाया जाता रहा है। ऐसा तब और भी घृणित एवं विवादास्पद कार्य अपराध बन जाता है, तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत ने अपने राम जन्म भूमि विवाद के फैसला में श्री राम को वास्तविक अवतार श्री राम लला के अस्तित्व को मानते हुए उनके पक्ष तथा स्वामित्व में श्री राम जन्म भूमि के वाद का निस्तारण किया और जहाँ भव्य मन्दिर बन कर तैयार है। जिसमें राम लला सरकार विद्यमान है। श्री राहुल गांधी सांसद एवं नेता विपक्ष लोक सभा का बयान जो ब्राउन विश्वविघालय में दिया गया है जिसके परिवादी ने सेन्ट्रल बार बनारस के लाइब्रेरी में दैनिक जागरण, के दिनांक-05.05.2025 को पढ़ कर ज्ञात हुआ था और अपार पीडा हुई। इस तरह के बयान अपने आराध्य के विरुद्ध दिये जाने से किसी भी धार्मिक श्रद्धालू को सदमे से कम नहीं है। श्री राहुल गांधी सांसद एवं नेता विपक्ष लोकसभा ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-356,351,353 सपठित 196 भारतीय न्याय संहिता में पांच वर्ष के सश्रम कैद की सजा का अपराध किया है। राहुल गांधी सांसद एवं आल इण्डिया कांग्रेस पार्टी इस तरह के अपराध को करने की आदी हो गई है, जिसमे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के मामले में माननीय सर्वोच्चम न्यायालय ने श्री राहुल गांधी संसद एवं नेता विपक्षी लोकसभा तथा उनकी पार्टी को फटकार भी लगायी है, किन्तु ये लोग मानने वाले नहीं है। लगातार सनातन धर्म के पूर्व अवतारों तथा महान प्रतीको पर अनाप सनाप बयान देकर सनातन धर्म को मानने वाले हिन्दुओ को अपमानित करते रहते है। हेड स्पीचिंग का साशय अपराध कारित किया है। समाचार पत्र के माध्यम से स्थानीय वाराणसी कचहरी में विपक्षी के इस अपराध से परिवादी अवगत हुआ है इसलिए इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में यह मामला दाखिल किया जाना सदैव न्यायोचित है। माननीय न्यायालय को हुए मामले के परीक्षण के तहत विपक्षी को तलब करते हुए परिवादी का बयान लिखित किया जाना न्याय हित में आवश्यक एवं न्याय संगत है। विपक्षी पर मुकदमा करने से पूर्व किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। परिवादी द्वारा इस विषय पर अन्य किसी भी न्यायालय अथवा उच्च् न्यायालय में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अन्य वाद अथवा मुकदमा कदापि भी कायम नही

किया गया है, पहला वाद है। विपक्षी कोई सरकारी कर्मचारी नही है और न ही उपरोक्त विवादित हेट स्पीच बयान लोक सभा की कार्यवाही के अन्तर्गत ही दिया गया है। यह काम सार्वजनिक मंच से दिया गया है। इसलिए भारतीय न्याय संहिता मे हेड स्पीचिंग के अपराध की श्रेणी में दर्ज हैं। विपक्षी को उपरोक्त घटना में किए गए अपराध के लिए तलब करते हुए कठोर दण्ड की व्यवस्था किये जाने की याचना की गई है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत विद्वान दंडाधिकारी द्वारा परिवाद पत्र को पोषणीय न पाते हुए ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त कर दिया है, जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी योजित की गयी है।

4- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नही है। प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है। अतः निवेदन किया गया है निगरानी निरस्त की जाय़।

5- प्रकरण में विपक्षी संख्या-2 व 3 पर जरिये रजिस्टर्ड डाक तामीला पर्याप्त है, परन्तु विपक्षीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया है, न ही कोई आपत्ति ही प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा निगरानी/तलबशुदा पत्रावली तथा विधि के प्रावधानों का सम्यक् रूपेण परिशीलन किया गया।

6- विधि यह है कि दाण्डिक पुनरीक्षण के अधीन अवर न्यायालय द्वारा निष्कर्षित तथ्यों पर तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसे तथ्यात्मक निष्कर्ष पूर्णतयाः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न हो। पुनरीक्षण न्यायालय मात्र विधिक पहलुओं पर ही दृष्टिपात कर सकता है, कि क्या अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश, दण्ड़ादेश विधि के अनुकूल है अथवा नहीं?

7- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि ***बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार (दाण्डिक अपील सं0 203-231 सन् 2019, निर्णय दिनाॅक 06.02.2019)*** के माध्यम से पूर्व प्रदत्त विधि ***Southern Sales & Services Vs. Sauermilch Design & Handels GMBH (2008) 14 SCC 457*** का अवलम्ब लेते हुये यह विधि प्रदान की गई कि *"It is well established principle of law that the Revisional Court will not interfere even if a wrong order is passed by a court having jurisdiction, in the absence of a jurisdictional error."*

8- तलबशुदा की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी हरिशंकर पाण्डेय द्वारा विपक्षीगण राहुल गांधी व अजय राय के विरुद्ध परिवाद अं० धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत करते हुए, यह कहा गया है कि "परिवादी सनातन हिन्दू धर्म को मानने वाला धार्मिक प्रवृत का है। कांग्रेस पार्टी जिसमें नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी सांसद है, के प्रान्तीय संगठन में श्री अजय राय प्रान्तीय अध्यक्ष के पद पर विद्यमान है। श्री राहुल गांधी के द्वारा अपने अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयार्क के ब्राउन यूनिवर्सिटी में कहा कि "यहाँ तक कि हमारे काल्पनिक पात्र भी ऐसे ही गढे गए है। भगवान राम में सशीतला व दयालुता जैसे गुण है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्व में भी भगवान श्री राम को काल्पनिक पात्र बनाया जाता रहा है।" श्री राहुल गांधी सांसद एवं नेता विपक्ष लोक सभा का बयान जो ब्राउन विश्वविघालय में दिया गया है, जिसे परिवादी ने सेन्ट्रल बार बनारस के लाइब्रेरी में दैनिक जागरण, के दिनांक-05.05.2025 को पढ़ कर ज्ञात हुआ था और अपार पीडा हुई। इस तरह के बयान अपने आराध्य के विरुद्ध दिये जाने से किसी भी धार्मिक श्रद्धालू को सदमे से कम नहीं है। श्री राहुल गांधी सांसद एवं नेता विपक्ष लोकसभा ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-356,351,353 सपठित 196 भारतीय न्याय संहिता में पांच वर्ष के सश्रम कैद की सजा का अपराध किया है। विपक्षी सं. 2 व 3 द्वारा हेट स्पीचिंग का साशय अपराध कारित किया है। समाचार पत्र के माध्यम से स्थानीय वाराणसी कचहरी में विपक्षी के इस अपराध से परिवादी अवगत हुआ है, इसलिए इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में यह मामला दाखिल किया जाना सदैव न्यायोचित है। माननीय न्यायालय को हुए मामले के परीक्षण के तहत विपक्षी को तलब करते हुए परिवादी का बयान लिखित किया जाना न्याय हित में आवश्यक एवं

न्याय संगत है। विपक्षी पर मुकदमा करने से पूर्व किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। विपक्षी द्वारा यह काम सार्वजनिक मंच से किया गया है। इसलिए भारतीय न्याय संहिता मे हेट स्पीचिंग के अपराध की श्रेणी में दर्ज हैं। विपक्षी को उपरोक्त घटना में किए गए अपराध के लिए तलब करते हुए कठोर दण्ड की व्यवस्था किये जाने की याचना की गई है।

उपरोक्त परिवाद को विद्वान दंडाधिकारी द्वारा दर्ज करने के पूर्व पोषणीयता पर सुनवाई हेतु प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज किया एवं पोषणीयता पर सुनवाई के उपरांत विद्वान दंडाधिकारी द्वारा परिवाद पत्र को पोषणीय न पाते हुए ग्राहयता के स्तर पर निरस्त कर दिया है, जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी योजित की गयी है।

9. विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त प्रकीर्ण वाद की सुनवाई कर, यह निष्कर्ष देते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है कि धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अनुसार भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए भारत में जांच या उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त धारा 217 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विहित पूर्व मंजूरी के अभाव का उल्लेख किया गया है। निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त करने संबंधी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी नही प्राप्त की गयी है। ऐसे में प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज परिवाद को पोषणीय न पाते हुए निरस्त कर दिया है।

10- चूंकि धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परंतुक के अनुसार भारत से बाहर किए गए अपराधों के संबंध में भारत में जांच या उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। ऐसे में हस्तगत प्रकरण में प्रथम विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 223 बी.एन.एस.एस. में परिवाद दर्ज करने के पूर्व केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है?

11- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 के अनुसार-**

भारत से बाहर किया गया अपराध - जब कोई अपराध भारत से बाहर -

(क) भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के भीतर उस स्थान में किया गया है, जहां वह पाया गया है या जहां अपराध भारत में रजिस्ट्रीकृत है:

परन्तु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 समान है। जिस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 में भारत से बाहर कारित अपराधों के संबंध में भारत में जांच व विचारण के पूर्व केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक थी, उसी प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 में भी भारत से बाहर कारित अपराधों के लिए भारत में जांच व विचारण हेतु केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक की गई है।

उल्लेखनीय है कि धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परंतुक के अनुसार भारत से बाहर कारित अपराधों के संबंध में जांच एवं उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। इस प्रकार भारत से बाहर कारित अपराधों की जांच एवं विचारण के संबंध में प्रतिबंध अधिरोपित किया गया है। केंद्रीय सरकार की अनुमति के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि अपराधी के विरुद्ध एक ही अपराध के लिए दो विभिन्न स्थानों पर जांच या विचारण का कार्य न पर प्रारंभ किया जाए। इस प्रावधान के पीछे मुख्य कारण दोहरे खतरे का सिद्धांत है। यह सिद्धांत अभियुक्त को कानूनी बचाव प्रदान करता है और उसे विधि पूर्वक दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के बाद उन्ही आरोपों और तथ्यों के

लिए बार-बार मुकदमा चलाने से बचाता है।

12- धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा-188 Cr.P.C) का परन्तुक भारत से बाहर कारित अपराध की जाँच व विचारण के लिये केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति की शर्त अधिरोपित करती है। इसप्रकार, भारत से बाहर कारित अपराध की स्थिति में केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति निम्नलिखित प्रक्रिया हेतु आवश्यक हैः-

1. जाँच
2. विचारण

जहाँ तक विचारण का प्रश्न है, इस संबंध में कोई मतभेद नही है कि विचारण एक न्यायिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को दोषी या निर्दोष का विनिश्चय किया जाता है। धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परन्तुक के दृष्टिगत भारत से बाहर कारित अपराध के भारत में विचारण हेतु केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है।

जबकि जाँच को धारा 2(K) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित किया गया है। धारा 2(K) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार-"जाँच से अभिप्रेत है, विचारण से भिन्न, ऐसी प्रत्येक जाँच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है।"

13- धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परन्तुक के तहत भारत के बाहर कारित अपराध के लिए विचारण का प्रारंभ केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जा सकता है, परन्तु धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जाँच के किस चरण पर मंजूरी की आवश्यकता होगी, अर्थात संज्ञान के बाद अथवा संज्ञान के पूर्व, के विधिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं महत्त्वपूर्ण हैं:-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि ***Ajay Agarwal vs. Union of India & anrs (1993) 3 SCC 609*** में यह अवधारित किया गया है कि, "prior sanction under the proviso to Section 188 CrPC is not a condition precedent for taking cognizance of the offence and that if need be, such sanction could be obtained after the trial begins."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन जज की पीठ द्वारा निर्णयज विधि ***Thota Venkateswarlu v. State of A.P. through Principal Secretary and anrs. (2011) 3 SCC (Cri) 772*** में यह अवधारित किया गया है कि "bar in the conduct of "inquiry" by the Magistrate Court in relation to an offence committed outside India without obtaining sanction of the Central Government as per the proviso to Section 188 CrPC would apply only in respect of the "post-cognizance inquiries.

Upto the stage of taking cognizance, no previous sanction would be required from the Central Government in term of the proviso to Section 188 Cr.P.C.. However, the trial cannot proceed beyond the cognizance stage without the previous sanction of the Central Government."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि ***Narela Chiranjivi Arun Kumar Vs. The State of Andhra Pradesh and anrs. 2021 SCC Online SC 3392*** में यह अवधारित किया गया है कि,"Sanction of the Central Government is not required at the stage of cognizance for offences committed outside India by an Indian citizen, but trial cannot commence without such sanction."

14- उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि किसी मामले के संज्ञान लिये जाने तक धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परन्तुक के तहत केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक नही है, किन्तु संज्ञान के बाद विचारण तब तक प्रारंभ नही किया जा सकता, जबतक केन्द्रीय सरकार की मंजूरी न प्राप्त हो जाय। इसप्रकार, संज्ञान लिये जाने तक किसी भी जाँच के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक नही है।

15- जहां तक धारा 217 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में किसी

न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी का प्रश्न है, तो इस संबंध में निम्नवत प्रावधान हैः-

<u>भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 217 के अनुसारः-</u>

राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन

(1) कोई न्यायालय, -

(क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 7 के अधीन या **धारा 196**, धारा 299 या **धारा 353 की उपधारा (1)** के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का; या

ख) ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का; या

(ग) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 47 में यथावर्णित किसी दुष्प्रेरण का, संज्ञान, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं।

(2) कोई न्यायालय, -

(क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 197 या **धारा 353 की उपधारा (2) या उपधारा (3)** के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, या

(ख) ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का, संज्ञान केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्ण मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं।

(3) कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61 की उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय किसी आपराधिक षड्यंत्र के किसी ऐसे अपराध का, जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठोर कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न है, संज्ञान तबतक नहीं करेगा, जब तक राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही शुरू करने के लिए लिखित सम्मति नहीं दे दी हैः-

परन्तु जहां आपराधिक षड्यंत्र ऐसा है, जिसे धारा 215 के उपबन्ध लागू हैं, वहां ऐसी कोई सम्मति आवश्यक नहीं होगी।

(4) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन मंजूरी देने के पूर्व और जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (2) के अधीन मंजूरी देने से पूर्व, और राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (3) के अधीन सम्मति देने के पूर्व, ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, प्रारम्भिक अन्वेषण किए जाने का आदेश दे सकता है और उस दशा में ऐसे पुलिस अधिकारी की वे शक्तियां होंगी, जो धारा 174 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट हैं।

उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि राज्य के विरुद्ध अपराधों एवं ऐसे अपराध को करने के लिये आपराधिक षडयंत्र एवं दुष्प्रेरण के मामलों में कोई न्यायालय संज्ञान केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना नही लेगा।

चूंकि धारा 217 के अंतर्गत बी.एन.एस. के धारा 196, 353 के अपराध का संज्ञान लेने के पूर्व केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ऐसे में हस्तगत प्रकरण में द्वितीय विचारणीय प्रश्न यह है कि <u>क्या धारा 223 के अंतर्गत परिवाद को मात्र दर्ज किये जाने का आदेश, अपराध का संज्ञान लेने की श्रेणी में आता है।</u>

16- अब प्रश्न यह है कि क्या धारा 223 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दाखिल परिवाद में प्रस्तावित अभियुक्तगण के विरुद्ध मात्र परिवाद दर्ज करने के स्तर पर ही संज्ञान ले लिया जाता है। धारा 223 बी.एन.एस.एस. के प्रावधान निम्नवत हैः-

<u>भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अनुसारः-</u>

परिवादी की परीक्षा-

(1) जब अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करेगा तब परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित हैं तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा और परिवादी और साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा:

परन्तु किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि जब परिवादी लिख कर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक न होगा-

(क) यदि परिवाद अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया गया है; या

(ख) यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के लिए मामले को धारा 212 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है:

परन्तु यह भी कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् मामले को धारा 212 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए उनकी फिर से परीक्षा करना आवश्यक न होगा;

(2) कोई मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के विरुद्ध उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कारित किया जाना अभिकथित किए गए किसी अपराध के लिए परिवाद पर संज्ञान नहीं लेगा, यदि-

(क) ऐसे लोक सेवक को उस परिस्थिति के बारे में प्राख्यान करने का अवसर नहीं दिया जाता है, जिसके कारण अभिकथित घटना घटित हुई; और

(ख) ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है।

17- धारा 223 बी.एन.एस.एस. के प्रावधान के परन्तुक अनुसार मजिस्ट्रेट प्रस्तावित अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना संज्ञान नही लेगा। धारा 223 बी.एन.एस.एस. आज्ञापक प्रावधान है, जिसके तहत संज्ञान से पूर्व प्रस्तावित अभियुक्त को नोटिस प्रेषित कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा। अर्थात मात्र परिवाद के दर्ज हो जाने से अपराध का संज्ञान नही होता, अपितु सक्षम मजिस्ट्रेट/न्यायालय द्वारा न्यायिक मष्तिष्क का प्रयोग करने के उपरांत ही किसी मामले में अपराध का संज्ञान लिया जायेगा।

निर्णयज विधि ***Sri Bsanagoudda R. Patil Vs. Sri Shivananda S. Patil 2024 SCC OnLine Kar. 96*** में माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक द्वारा यह धारित किया गया है कि,

"8. The obfuscation generated in the case at hand is with regard to interpretation of Section 223 of the BNSS, as to whether on presentation of the complaint, notice should be issued to the accused, without recording sworn statement of the complainant, or notice should be issued to the accused after recording the sworn statement, as the mandate of the statute is, while taking cognizance of an offence the complainant shall be examined on oath. The proviso mandates that no cognizance of an offence shall be taken by the Magistrate without giving the accused an opportunity of being heard.

9. To steer clear the obfuscation, it is necessary to notice the language deployed therein. The Magistrate while taking cognizance of an offence should have with him the statement on oath of the complainant and if any witnesses are present, their statements. The taking of cognizance under Section 223 of the BNSS would

<u>come after the recording of the sworn statement, at that juncture a notice is required to be sent to the accused, as the proviso mandates grant of an opportunity of being heard.</u>

10. Therefore, the procedural drill would be this way:-

A complaint is presented before the Magistrate under Section 223 of the BNSS; on presentation of the complaint, it would be the duty of the Magistrate / concerned Court to examine the complainant on oath, which would be his sworn statement and examine the witnesses present if any, and the substance of such examination should be reduced into writing. The question of taking of cognizance would not arise at this juncture. <u>The magistrate has to, in terms of the proviso, issue a notice to the accused who is given an opportunity of being heard. Therefore, notice shall be issued to the accused at that stage and after hearing the accused, take cognizance and regulate its procedure thereafter.</u>

11. The proviso indicates that an accused should have an opportunity of being heard. Opportunity of being heard would not mean an empty formality. Therefore, the notice that is sent to the accused in terms of proviso to sub-section (1) of Section 223 of the BNSS shall append to it the complaint; the sworn statement; statement of witnesses if any, for the accused to appear and submit his case before taking of cognizance. In the considered view of this Court, it is the clear purport of Section 223 of BNSS 2023."

निर्णयज विधि ***<u>Suby Antony Vs. Judicial First Class magistrate III 2025 SCC OnLine Ker. 532</u>*** में माननीय उच्च न्यायालय केरलम् द्वारा यह अवधारित किया गया है कि, *"7. .....Being guided by the precedents on Section 200 & 202 Cr.P.C. and the plain language of the proviso to Section 223(1) of BNSS, this court is of the opinion that, <u>after the complaint is filed, the magistrate should first examine the complainant and witnesses on oath and thereafter, if the magistrate proceeds to take cognizance of the offence, opportunity of hearing should be afforded to the accused."</u>*

निर्णयज विधि ***<u>Prateek Agarwal Vs. State of U.P. 2024 SCC OnLine All. 8212</u>*** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद(लखनऊ खंडपीठ) द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के मामले में दिये गये अभिमत पर सहमति जताते हुए यह अवधारित किया गया है कि परिवाद के मामलों में मजिस्ट्रेट परिवादी और उसके साक्षियों के सशपथ बयान दर्ज करने के उपरांत, यदि अपराध का संज्ञान लिये जाने की ओर अग्रसर होता है तो प्रस्तावित अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने हेतु नोटिस निर्गत करेगा।

18- इसप्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लागू होने के उपरांत परिवाद के मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा परिवादी व उसकी ओर से प्रस्तुत साक्षी का बयान लेने के उपरांत प्रस्तावित अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस निर्गत किया जायेगा और तदुपरांत न्यायिक मष्तिष्क का प्रयोग कर अपराध का संज्ञान लिया जायेगा।

धारा 208 व 217 बी.एन.एस.एस. का जो प्रतिबंध है, वो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना संज्ञान पर है। चूंकि धारा 223 बी.एन.एस.एस. के प्रावधान के अनुसार, परिवाद के मामले में संज्ञान, परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व प्रस्तावित अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरांत ही लिया जायेगा। ऐसे में मात्र परिवाद दर्ज होने के प्रारंभिक स्तर पर अपराध का संज्ञान नही होता है। अतः परिवाद दर्ज होने के प्रारंभिक स्तर पर धारा 208 व 217 बी.एन.एस.एस. के प्रतिबंध के आधार पर निरस्त नही किया जा सकता है।

19- इसप्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विद्वान दंडाधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 27.05.2025 परिवाद पर संज्ञान लिये जाने के संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित

विधि व्यवस्थाओं में संप्रेषित सिद्धांतों के विपरीत है। अतः उसमें निगरानी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का समुचित आधार उपलब्ध है। विद्वान दंडाधिकारी द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.05.2025 बने रहने योग्य नही है, तदनुसार प्रश्नगत आदेश निरस्त करते हुए, निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक निगरानी संख्या 486 सन् 2025 हरिशंकर पांडेय बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य स्वीकार किया जाता है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद संख्या 28227/2025 हरिशंकर पाण्डेय बनाम राहुल गाँधी व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 को अपास्त किया जाता है।

विद्वान मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निगरानी निर्णय के आलोक एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा संप्रेषित सिद्धांतों के दृष्टिगत पुनः सुनवाई कर विधिनुसार आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित हो तथा अवर न्यायालय की मूल पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय/अभिलेखागार को वापस किया जाये। निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 10.06.2026

(यजुवेन्द्र विक्रम सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/,
विशेष न्यायाधीश(एम०पी०/एम०एल०ए०),
न्यायालय संख्या-5, वाराणसी।
जे0 ओ 0 कोड- यू0 पी0 1725

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 10.06.2026

(यजुवेन्द्र विक्रम सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/,
विशेष न्यायाधीश(एम०पी०/एम०एल०ए०),
न्यायालय संख्या-5, वाराणसी।
जे0 ओ 0 कोड- यू0 पी0 1725

स्टेनो- निखिल सिंह।